कमिश्नर वाणिज्य कर, उ-ार प्रदेश

उपस्थित **श्रीमती अमृता सोनी, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

प्रार्थी **सर्वश्री** विलियम ग्रान्ड एण्ड सन्सइण्डिया प्रा0लि0 एम 202 मेजानिन 2 अन्सांल सुमेधा बिल्डिंग आर0डी0सी0 राजनगर, गाजियाबाद।

प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक **006 / 18, 12.09.2018**

प्रार्थी की ओर से **सुश्री श्वेता खण्डेलवाल, फर्म की Consultant।**

टिन नं0 09288845263

उ-ार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी **सर्वश्री** विलियम ग्रान्डÐ एण्ड¸ सन्सइण्डिया प्रा 0लि0 एम 202 मेजानिन 2 अन्सांल सुमेधा बिल्डिंग आर0डी0सी0 राजनगर, गाजियाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 006/18 दिनांक 12.09.2018 को उ-ार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

(1) Whether there is any liability to pay VAT on local procurement of alcohol by thje Applicant within the state of Uttar Pradesh?

(2) If the answer to question no. (1) is in the affirmative, what would be the appropriate rate of VAT on the same?

(3) Whether there is any requirement to discharge VAT liability by the Applicant on sale of alcohol from Uttar Pradesh to dealers located within the state of Uttar Pradesh?

(4) If the answer to question no. (3) is in the affirmative, what would be the appropriate rate of VAT to be discharged on the same?

(5) Whether there is any liability to pay Central Sales Tax, (CST) by the Applicant on sale of alcohol from Uttar Pradesh to dealers located outside the state of Uttar Pradesh?

(6) Whether payment of License Fees to the Department of Excise, Uttar Pradesh can be considered as payment of consideration fee or Excise Duty payable as mentioned on the Notification No. KA.NI.-2-14/XI-9(1)08-U.P. Ordi-37-2008-(3)-2008?

(7) Whether there is a requirement to obtain Form F for stock transfer of alcohol effected by the Applicant from the state of Uttar Pradesh to other states?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को सुश्री श्वेता खण्डेलवाल, फर्म की Consultant उपस्थित हुई। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एड़ीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-4639, दिनांक 30.03.2019 के माध्यम से प्रेषित आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में वर्ष 2018-19 में माह अक्टूबर 2018, नवम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 में रिटर्न दाखिल करते हुये नॉन वैट गुड्स के अन्तर्गत

.....2

spirit and spirituous liquors की बिक्री घोषित करते हुये उस पर अपनी कर देयता स्वीकार कर, कर जमा किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेन्ट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964AIR766) के वाद में पारित निर्णय में दी गयी व्यवस्था के अनुसार व्यापारी के द्वारा रिटर्न दाखिल किये जाने के कारण कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ मानी जायेगी। फलस्वरुप व्यापारी का प्रार्थना पत्र धारा-59 की परिधि में नहीं आता है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2018-19 में माह अक्टूबर 2018, नवम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 में रिटर्न दाखिल करते हुए नॉन वैट गुड्स के अन्तर्गत spirit and spirituous liquors की बिक्री घोषित करते हुये उस पर अपनी कर देयता स्वीकार कर, कर जमा किया गया है जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। प्रार्थी द्वारा संगत वर्ष 2018-19 में माह अक्टूबर 2018, नवम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 के रिटर्न दाखिल किये गये हैं जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है।

5. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 10, मई, 2019

ह0/ 10.05.2019

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।